संख्या जैड.16024-19-2015-सीएचएस-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सीएचएस प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः अगस्त, 2016

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (2014) के भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

2. डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/61/2008-स्थापना (आरआर) की शर्तानुसार, सीएचएस भर्ती नियमों की प्रस्तावित संशोधन अधिसूचना सभी पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अपलोड की जाती है।

3. कृपया इस मंत्रालय को निम्नलिखित पते पर अधिकतम दिनांक 01/10/2016 तक अधोहस्ताक्षरी को वरीयता के आधार पर स्पीड पोस्ट द्वारा टिप्पणियां भेजी जांए। टिप्पणियों की सॉफ्ट कॉपी भी maheshwaridd@hotmail.com पर ई-मेल करें।

कमरा सं. 331, सी-विंग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(डी.डी. महेश्वरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23061875

सेवा में,

सभी संबंधित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जीएसआर...........................राष्ट्रपति, एतदद्वारा संविधान की धारा 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में आगामी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

(1) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2016 के नाम से जाना जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में नियम 7 के अंतर्गत - प्रतिनियुक्ति द्वारा ड्यूटी पदों (अल्पकालीन संविदा सहित) को भरना, नीचे नियम-7 में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जाएंगीः

7(1) प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किसी एक पर आधारित होगीः

i. मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी रिक्ति परिपत्र के विरूद्ध
ii. पति-पत्नी श्रेणी के अंतर्गतः जहां पति-पत्नी में से कोई एक निम्नलिखित से संबंधित होना चाहिए-

अखिल भारतीय सेवा, अन्य केन्द्रीय सेवा, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पद और सेवाएं, भारतीय सशस्त्र बल, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और इसके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्थान, इत्यादि

और पति-पत्नी में से कोई चिकित्सा की एलोपैथिक पद्धति में भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर के रूप में कार्यरत होः

अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व और इसके द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्थान के अलावा उपर्युक्त में से कोई भी सेवा/पद